निगरानी प्रकरण कमांक:— 656 PBR / 2012
प्रस्तुती दिनांक :— 22—03—2012

रा.रा.माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

(1) अजीतनाथ रियलिटी तर्फे डायरेक्टर
मुकेश पिता रसीकलाल जवेरी
112—113, सिल्वर संचोरा
78, आर.एन.टी.मार्ग, इन्दौर म.प्र.

R 656 - PBR/12

(2) सुरभी रियल इस्टेट तर्फे
मुकेश पिता रसीकलाल जवेरी
112—113, सिल्वर संचोरा
78, आर.एन.टी.मार्ग, इन्दौर म.प्र.

श्री .... 22/3/12 को द्वारा आज प्रस्तुत

(3) पद्मप्रभु इन्फ्रास्ट्रक्चर
तर्फे मुकेश पिता रसीकलाल जवेरी
112—113, सिल्वर संचोरा
78, आर.एन.टी.मार्ग, इन्दौर म.प्र.

(4) परमेश्वर इन्टरप्राईजेस तर्फे
कृष्णदास पिता बोन्दर द्वारा मुकेश जवेरी
112—113, सिल्वर संचोरा
78, आर.एन.टी.मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता / प्रार्थी

विरुध्द

म.प्र. शासन द्वारा अधिकृत तहसीलदार एवं
क्षेत्रीय हल्का पटवारी / राजस्व निरीक्षक,
कार्यालय तहसीलदार तहसील एवं जिला
इन्दौर म.प्र.

..........रेस्पान्डेन्ट / प्रतिप्रार्थी

22/3/12

राजस्व निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व सहिता,1959 के तहत:—

निगरानीकर्ता / प्रार्थीगण द्वारा सदर निगरानी माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इन्दौर के राजस्व न्यायालय द्वारा राजस्व निगरानी प्रकरण कमांक 24 / निगरानी / 11—12 में दिनांक 20—03—2012 को पारित आदेश से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है:—

अजीतनाथ / मुकेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 656–पीबीआर/12 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/6/15	प्रकरण में दिनांक 11.6.2015 को शासन के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदकगण के अभिभाषक 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये । इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदकगण के अभिभाषक प्रकरण के निराकरण में रूचि नहीं रखते हैं । जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है तहसीलदार इन्दौर द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–68/11–12 में ग्राम निहालपुर मुण्डी, तहसील इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 288,290,296,299,304 एवं 779 रकबा कमशः 0.295, 1.108, 0.405, 0.859, 0.397 एवं 1.538 हैक्टेयर पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाते हुए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 248 के अंतर्गत सूचना पत्र दिनांक 21.12.2011 जारी किया गया है । आवेदकगण द्वारा इसी सूचना पत्र के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20.3.2012 को आदेश पारित कर एस.सी. 2000(4) पृष्ठ 625 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकालते हुए कि तहसीलदार द्वारा अभी केवल सूचना पत्र जारी किया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि तहसील न्यायालय हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर रहा है, निगरानी निरस्त की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में	

R.656/PBR/12

अतिविस्तार से आधारों का उल्लेख करते हुए यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलन योग्य है । चूंकि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अतः वे उक्त आधारों को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

2/ उपरोक्त विश्लेषण के प्रकाश में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में रूचि नहीं लेने से एवं अपर कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष